न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 05 / 2018
दायर दिनांक :— 19—06—2018
निर्णय दिनांक :— 12—03—2019

अनवान

तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1. उगमी देवी पति सुखवाल जाति —बैरवा निवासी सहाडा, त0 सहाडा जिला भीलवाडा
2. मांगीबाई पिता उदयराम जाति बैरवा निवासी जीतावास हाल पति शंकरलाल निवासी धोली मगरी सोनियाणा हाल सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. श्री श्याम सुन्दर भाण्ड तत्कालीन उप पंजीयक रेलमगरा
4. तत्कालीन भू0अ0निरीक्षक दौरान कैम्प
5. हल्का पटवारी जीतावास

————रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1669 व 1670 दिनांक 09.05.2018 तहसीलदार, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0) के आदेश के विरूद्व

उपस्थित :—
1— अपीलांट
2— रेस्पोडेण्ट

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा राजस्व ग्राम जीतावास पटवार हल्का जीतावास का नामान्तरकरण संख्या 1669 व 1670 दिनांक 09.05.2018 को न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत नामान्तकरण से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । अपीलाण्ट द्वारा निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा का निर्णय आदेश दिनांक 09.05.2018 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

पेरोकार सरकार अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1669 व 1670 दिनांक 09.05.2018 गलत रूप से रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 01 के नाम न्याय आपके द्वारा अभियान केम्प जीतावास में स्वीकृत कर

दिया गया । रेस्पोडेण्ट संख्या 2 गैर खातेदार होने के बावजूद रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को अपनी जमीन विक्रय किये जाने से नामान्तरकरण सख्या 1669 व 1670 दर्ज किये गये है। रेस्पोडेण्ट सख्या 01 गैर खातेदार होने के बावजूद ग्राम जीतावास की आराजी नम्बर 1790/861 रकबा 3.12 बीघा एवं आराजी नम्बर 1791/861 रकबा 00.10 बीघा कुल किता 02 रकबा 4.02 बीघा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 158 एवं 159 दिनांक 19.01.2018 रेस्पोडेण्ट सख्या 03 के सहयोग से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में एक ही दिन में दो बेचान नामे कारित कर दिये गये है। जबकि भूमि गैर खातेदारी होने से रेस्पोडेण्ट सख्या 02 को भूमि बेचान का अधिकार नहीं था। वर्णित बेचान नामें पंजीकृत होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 05 ने न्याय आपके द्वार अभियान में उक्त दो बेचान नामों की छाया प्रति के आधार पर नामान्तकरण सख्या 1669 व 1670 दायर किये गये। रेस्पोडेण्ट सख्या 05 ने उक्त दोनों नामन्तकरणो के कालम सख्या 7 में रेस्पोडेण्ट सख्या 2 जो कि गैर खातेदार थी उसे खातेदार अंकित करते हुए नामान्तकरण दायर कर दिया गया । ग्राम जीतावास के नामान्तकरण संख्या 1669 व 1670 न्याय आपके द्वार कैम्प जीतावास में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा स्वीकृत कर दिये गये। उक्त नामान्तकरण गलतरूपेण स्वीकृत किये जाने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1669 व 1670 निर्णय दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा नोटिस तामील नहीं करने से रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये गये । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।

रेस्पोडेण्ट संख्या 03 द्वारा आपने जबाब में कथन किया है कि ग्राम जीतावास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1790/861 व 1791/861 कृषि भूमि होकर खातेदारी हैसीयत से रेस्पो0 सं0 02 के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। इसी आधार पर रेस्पो0 सं0 02 ने एक विक्रय विलेख रेस्पो0स0 01 के पक्ष में पंजीयन नियमों के तहत निस्पादित किया गया। दौराने कैम्प न्याय आपके द्वारा अभियान में उक्त पंजीयन दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण का अन्तिम विनिश्चिय किया गया तो अपीलार्थी स्वय (तहसीलदार रेलमगरा) ने किया । अपीलार्थी तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात ही अपना अन्तिम आदेश पारित किया जाना चाहिये था। इस प्रकार रेस्पो0 स003 के समक्ष निष्पादित विक्रय विलेख गैर खातेदारी हक से अभिलिखित भूमि के लिये नहीं था। ऐसी स्थिति में रेस्पो0सं0 03 के स्तर पर किसी भी प्रकार से विधिक त्रुटि नही की गई । यदि अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पो0 सं0 03 को कोई आपत्ति नहीं है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 04 द्वारा आपने जबाब में कथन किया है कि ग्राम पंचायत जीतावास में दिनांक 09.05.2018 को राजस्व लोक अदालत शिविर न्याय आपके द्वार था । उस केम्प में विकाव पत्र भर पेश किया गया लेकिन कार्य की व्यस्तता एवं पब्लिक की भीड अधिक होने से

जमाबन्दी का मिलान नहीं किया जा सका और नामान्तकरण पर जांच की तस्दीक कर दी गई । यदि अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पो0 सं0 04 को कोई आपत्ति नहीं है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 05 द्वारा आपने जबाब में कथन किया है कि मेरा मूल पदस्थापन पटवार मण्डल सकरावास पर पटवारी के पद हैं मुझे पटवार मण्डल जीतावास का अतिरिक्त चार्ज दिनांक 30.04.2018 को दिया गया । राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार केम्प दिनांक 09.05.2018 में मेरे द्वारा ग्राम जीतावास का नामन्तकरण संख्या 1669 व 1670 दिनांक 09.05.2018 को दर्ज किये गये । अभियान के दौरान कार्य की अधिकता मैने केवल खसरा देखकर ही नामान्तकरण दर्ज कर दिये गये । चूंकि उस समय जमाबन्दी मजमे आम में लोग देख रहे थे। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मेरे द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसकी जांच भू0अ0निरीक्षक द्वारा कि जाकर तहसीलदार साहब द्वारा प्रमाणिकरण किया गया । मेरे पास जीतावास का अतिरिक्त चार्ज होने से मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। जबकि खसरा खसरा गिरदावरी में श्रीमती मांगीबाई का नाम सा.देहखातेदार की हैसियत से दर्ज है। खोले गये नामान्तकरण का जमाबन्दी में अमलदरामद करते समय ध्यान आया कि श्रीमती मांगी बाई गैर खातेदार हैं गलती का पता चलते ही मेरे द्वारा नामान्तकरण खारीज करने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार साहब के समक्ष प्रस्तुत कर दी । यदि अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पो0 सं0 05 को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष के जबाब एवं बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का का अवलोकन किया गया । अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 सं0 03 से 05 द्वारा राजस्व अभिलेख का गम्भीरता से अवलोकन नहीं किया गया । जिससे नामान्तकरण फैसल होने में अनियिमिता हुई है। सम्बन्धित तहसीलदार के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार कर जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवाया जावे । तहसीलदार रेलमगरा को निर्देश दिये जाते है कि वे खसरा गिरदावरी में दर्ज खातेदार को नियमानुसार गैर खातेदार दर्ज किया जावे। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य हैं ।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर राजस्व ग्राम जीतावास का नामान्तकरण संख्या 1669 व 1670 निर्णय दिनांक 09.05.2018 निरस्त किया जाता है।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 12.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द